BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

PRESS NOTE: G/33/2017-18 **20 February 2018**

URGENT IMPLEMENTATION OF REVISED NATIONAL BUILDING CODE URGED

Bureau of Indian Standards (BIS) jointly with the Indian Buildings Congress (IBC) and the Central Public Works Department (CPWD) is organizinga two-day national workshopon "National Building Code of India 2016" on 20 & 21 February 2018. The workshop is aimed to sensitize the state authorities, all local bodies, builders, developers and building professionals for urgent implementation of the recently revised National Building Code of India 2016 (NBC 2016) to ensure that large number of buildings being constructed in the country are functionally efficient and disaster resistant.

Inaugurating the workshop, Director General of BIS,SmtSurinaRajan,IASsaid that NBC 2016 incorporates comprehensive administrative and technical provisions which can be readily adopted by the local bodies to suitably revise and revamp their building bye-laws. BIS after extensive work for two years through its 22 expert Panels involving around 1,000 experts, has brought out the new state-of-the-art National Building Code in two volumes, totaling 33 chapters.

The Code with its vast coverage on accessibility, low income housing, rural and hill area development planning, structural safety of buildings in regions prone to natural disasters, environmental sustainability, is of great **socio-economic relevance** including for **Accessible India Campaign** of the Government of India. The provisions on use of new & innovative materials and technologies and on prefabricated construction techniques can give fillip to speedier construction to meet the objectives of **Housing for All by 2022** as envisaged by the Government of India. The provision on information and communication enabled buildings will facilitate implementation of the vision areas of **Digital India Campaign**. The Code also contains administrative aspects prescribing norms for time bound building approval, based on integrated approval process from all concerned agencies through single window clearance approach and adopting online process, thereby promoting **Ease of Doing Business**. SmtRajan further said that it is a matter of great satisfaction that state-of-the art revision of some of the important earthquake codes has been successfully accomplished recently, and the same have also been duly absorbed in NBC 2016. By encompassing latest provision on safety against such natural and man-made disasters like fire, the Code gives special thrust to **Disaster Mitigation**.

In the workshop, a series of technical presentations are being made by various experts and professionalsfrom across the country. The workshop urged the local building regulatory authorities to urgently implement the NBC 2016 by revising and revamping their building bye-laws, and exhorted the builders and developers to copiously follow its provisions in their construction programmes keeping the interest of the common buyers as supreme.

Director, PR
23234048

भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल रीलीज के लिए

प्रेस नोट: जी/33/2017-18 20 फरवरी 2018

संशोधित राष्ट्रीय भवन कोड का तुरंत कार्यान्वयन करने के लिए आग्रह

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस (आईबीसी) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीड्ब्ल्यूडी) संयुक्त रूप से 20 तथा 21 फरवरी 2018 को "भारत का राष्ट्रीय भवन कोड 2016" पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य देशभर में बड़ी संख्या में बनाए जा रहे भवनों को कार्यात्मक रूप से दक्ष तथा आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए हाल ही में संशोधित भारत के राष्ट्रीय भवन कोड (एनबीसी) 2016 को तत्काल कार्यान्विन करने के लिए राज्य प्राधिकरणों, सभी स्थानीय निकायों, भवन निर्माताओं, डिवल्परों और भवन निर्माण व्यवसायियों को संवेदनशील बनाना है।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बीआईएस की महानिदेशक, श्रीमती सुरीना राजन ने बताया कि एनबीसी 2016 में ऐसे व्यापक प्रशासनिक तथा तकनीकी प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिन्हें स्थानीय निकाय अपने भवन उप-नियमों में समुचित संशोधन एवं सुधार करके आसानी से अपना सकते हैं। बीआईएस ने अपनी 22 विशेषज्ञ पेनलों में 1000 विशेषज्ञों को शामिल करके दो साल के गहन कार्य करने के बाद दो खण्डों में अद्यतन नया राष्ट्रीय भवन कोड बनाया है, इसमें कुल 33 अध्याय हैं।

इस कोड में सुगम्यता, निम्न आय वर्ग के लिए गृह निर्माण करने, ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र विकास नियोजन, प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता का विस्तृत उल्लेख किया गया है, और इसकी भारत सरकार के **सुगम्य भारत अभियान** के लिए अत्याधिक **सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता** है। नए एवं नवोन्मेषी सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों और प्रिफेब्रिकेटिड निर्माण तकनीकों के प्रयोग के प्रावधानों से भारत सरकार की सन् **2022 तक सभी के लिए आवास** की परिकल्पना के उद्देश्यों को पूरा करने के कार्य को गति मिलेगी। सूचना एवं संचार प्रावधानों से युक्त भवन डिजीटल इंडिया अभियान के क्षेत्रों के कार्यान्वयन को सुगम बनाएंगे। इस कोड में सिंगल विंडो निर्बाधता पद्धति और ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के माध्यम से सभी संबंधित एजेंसियों से एकीकृत अनुमोदन प्रक्रिया पर आधारित भवन के समयबद्ध अनुमोदन के लिए मानदंड निर्धारित करने के प्रशासनिक पहलू भी हैं, तदनुसार **व्यवसाय में सरलता** को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीमती राजन ने आगे बताया कि यह बड़े संतोष कि बात है कि हाल ही में महत्त्वपूर्ण भूकंप कोड का भी सफल अद्यतन पुनरीक्षण किया गया है, और उसे भी एनबीसी 2016 में विधिवत् रूप से शामिल कर लिया गया है। सुरक्षा पर अद्यतन प्रावधानों को शामिल करने से प्राकृतिक और आग जैसी मानव-जनित आपदाओं के खिलाफ **आपदाओं को कम करने** को विशेष बल मिलेगा।

इस कार्यशाला में, देशभर से आए विभिन्न विशेषज्ञों तथा व्यवसायियों द्वारा तकनीकी प्रस्तुतीकरणों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला ने स्थानीय भवन निर्माण नियामक प्राधिकरणों से आग्रह किया कि वे अपने भवन निर्माण उप-नियमों में समुचित संशोधन तथा सुधार करके एनबीसी 2016 का तुरंत कार्यान्वयन करें और आम भवन क्रेताओं के हितों को सबसे ऊपर रखकर अपने भवन निर्माण कार्यक्रमों में इसके प्रावधानों का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

निदेशक, जनसंपर्क
23234048

INDIAN BUILDINGS CONGRESS